न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – अवि गर्ग आरएएस
मुकदमा संख्या :– 292/2017
अनुवान मुकदमा –

1.मुके ा पुत्र श्री रणजीत जाति मेघवाल साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

वादी–

बनाम

1. रणजीत पुत्र श्री सहीराम जाति मेघवाल साकिन लखासर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. कृश्णादेवी पुत्री रणजीत पत्नि सुरेनद्रपाल जाति मेघवाल साकिन मदेरा तहसील व जिला हनुमानगढ़
3. निरमादेवी पुत्री रणजीत पत्नि कमले ा जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं.23पीलीबगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादी–

उपस्थित :– 1. श्री जगराज सिह भारी वादी।
2. श्री दौलतराम पारीक प्रतिवादी सं. 1 ता 3।
2. राज पेरोकार।

निर्णय दिनांक 06.02.2018

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, रा.का.अधि.

वाद पत्र सक्षेंप में इस प्रकार से है कि चक 9 एलकेएस – बी के खाता संख्या 34/32 के पं.नं. 2/281(3)किला नं. 18/2,19ता24, 25/1 की कुल 1.859 हैक.,पं.नं.1/283(10)किला नं.2,9 ता 21,22/1 की 2.429 हैक. इस प्रकार कुल 4.288 हैक. नहरी मय रास्ता खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।तथा दफा 3 में वर्णित कृर्शि भूमि वादी की पैतृक कृर्शि भूमि है। जो पूर्व मे वादी के दादा सहीराम पुत्र हरलाल के नाम दर्ज रिकार्ड थी उनके स्वर्गवास हाने के बाद उक्त भूमि मुताबिक वारिस प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज हो गई जबकी उक्त भूमि वादी की पैतृक कृर्शि भूमि है। इस समस्त पैतृक कृर्शि भूमि मे वादी व प्रतिववादी सं.1ता3 का हक हिस्सा है।उक्त पैतृक कृर्शि भूमि बाबत वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बटवारा हो चुका है।घरू बटवार मे प्रतिवादी संख्या 2,3 जो कि वादी की हकीकी बहन है उन्होने इस पैतृक कृर्शि भूमि मे अपना हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं.1 के पक्ष मे छोड़ दिया है वे इस भूमि मे हक व हिस्सा नही लेना चाहती है।वादी को मुताबिक घरू बटवारे मे तहसील पीलीबंगा के चक 9 एलकेएस –बी के खाता सं.34/32के पं.नं.2/281(3)किला नं. 18/2,19ता24, 25/1 की कुल 1.859 हैक. नहरी खातेदारी कृर्शि भूमि प्राप्त हुई जिस पर वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भाान्तिपूर्वक तरिके से काबिज होकर का त करता आ रहा है। वादीगण वाद जांच जाब्ता दिवानी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावेः–

प्रतिवादी सं. एक के नाम वर्णित कृर्शि भूमि में से चक 9 एलकेएस–बी के खाता सख्या 34/32 के पं.नं. 2/281(3)किला न ं.18/2/0.240,19 ता 24,25/1/0.101 की 1.859 हैक. नहरी खातेदारी भूमि का वादी खातेदार का तकार है। साक्ष्य में प्रमाणित प्रति नकल जमाबन्दी चक 9 एलकेएस बी ब.हि.ब. रणजीत प्रमाणित प्रति पर्चा मण्डल खतोनी चक 9एलकेएस ब.हि.ब. सहीराम पुत्र श्री हरलाल प्रस्तुत किये गयें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की और से अपना राजीनाम पे ा कर निवेदन किया कि

क. प्रर्थम पक्ष सं. को घरू बंटवारा मे ंप्राप्त एंव कब्जा का त की कृशि भूमिः–

चक	पं .नं.	कि. नं.	तादादी
9 एल.के.एएस–बी	2/281	18/2/0.240, 19 ता 24, 25/1/0.101	1.859 हैक नहरी

भोश कृशि भूमि द्वितीय पक्ष सं. 1 को प्राप्त हुई ।

द्वितीय पक्ष सं. 2–3 प्रथम पक्ष की बहिने हैं जिन्होने अपना हक व हिस्सा का हक त्याग प्रथम पक्षा के हक में मौखिक रूप से कर रखा है। द्वितीय पक्ष 2–3 अपना कोई हक व हिस्सा उक्त पैतृक कृशि भूमि में प्राप्त नहीं करना चाहती है। उन्होने अपना हक व हिस्सा विवाह भादी, छुछक में बतौर सप्रेम भेंट, स्त्री धन , नकदी, जेवरात, वस्त्र व अन्य घरेलू सामान के रूप में प्राप्त करना स्वीकार किया है। तथा प्रथम पक्ष को मुताबिक राजीनामा में प्रप्त कृशि भूमि में द्वितीय पक्ष पूर्णतः रजामन्द एंव सहमत है। तथा प्रथम पक्ष/वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनाम डिग्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नहीं होगा राजीनामा पक्षकरान ने अपनी पूर्ण सहमति बिना किसी न ा पता, बिना किसी दबाब बहकाव के स्वतंत्र सहमति किया है। जिसे पक्षकरान ने पढ़ , सून समझ तथा पूर्ण से समझ में आ जाने के बाद सही होना माना है। प्रतिवादी सं. 4 द्वारा जबाब स्टैट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राज्यहित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय फरमाया जावें।

बहस सून गई पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील पक्षकारान द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का विवाद नहीं होने के कारण राजीनामा अनुसार प्रकरण डिक्री करने बाबत निवेदन किया बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजो का अधयन किया गया वाद ग्रस्त भूमि वादी के पैतृक भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हक निहित है। तथा प्रकरण मे किसी प्रकार का विरोध नही है। वादी वादी साबित है।अतः स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि चक 9 एलकेएस–बी के खाता सख्या 34/32 के पं.नं. 2/281(3)किला न ं.18/2/0.240,19 ता 24,25/1/0.101 की 1.859 हैक. नहरी खातेदारी भूमि का वादी को खातेदार का तकार धाशित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें पर्चा डिक्री जारी हों निर्णय सरे इजलास सूनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सहायक कलक्टर
पीलीबंगा